न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी –श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या 18/2018 (राजस्व वाद)

दायर दिनांक–2.4.2018

फैसल दिनांक – 2.4.2018

अनवान

बुरहानी इण्ड एग्री के सदस्य युनुस पिता अलीहुसैन हथाईवाला बोहरा सा0सागवाडा

1/2 बुरहानी इण्डस्ट्रीज एण्ड एग्रीकल्चर को गलियाकोट सदस्य ––

1– कासमभाई पिता हकीमुद्दीन
2– फिज्जा बाई पत्नि कासमभाई
3– ताहाभाई पिता कासम भाई
4– मुकरम भाई पिता कासमभाई
5– कुतुबुद्धीन भाई एहमद भाई
6– रूकैयाबाई पत्नि शेख अब्दुलकादर
7– मोइझ भाई शेख अब्दुलकादर
8– फरीदा बाई शेख अब्दुलकादर
9– अजीजभाई पिता शेख अ.कादर
10– शेख अब्दुलकादर पिता नुरद्धीन मी.रामपुरवाले हाल गलियाकोट

(वादीगण)

बनाम

तहसीलदार (भूमिधारी) सागवाडा

(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत 136 राज ले0रे0एक्ट

निर्णय

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण मौजा जूईतलाई की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 156 के खातेदार दर्ज रेकार्ड है । नकल जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर बुरहानी इण्ड एग्री के सदस्य अंकित होकर खातेदारान के नाम खसरा नम्बर 168 रकबा 1बीघा01 बिस्वा ,,खसरा नम्बर 171 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा , खसरा नम्बर 197 रकबा 18 बिस्वा कुल खसरा किता 3 रकबा 4बीघा दर्ज है ।

वादीगण की ओर से राजस्व केम्प तहसील मुख्यालय गलियाकोट में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि खाते की उक्त भूमि पर कृषक कोई उदयोग नही कर खाते की भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहे है अतः खाते में बुरहानी इण्डस्ट्री एग्रो को हटाकर खातेदारान का नाम ही दर्ज कराना चाहते है ।

वादीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट का होकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन का होने से उक्त अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी /भूमिधारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई । भूमिधारी की रिपोर्ट मय पर्चा मौंका संलग्न है ।

रिपोर्ट अनुसार मौता जूईतलाई के खाता संख्या 156 में खातेदारों के साथ दर्ज बुरहानी इण्डस्ट्रीज एग्रो को0 हटा मात्र खातेदारों के नाम खाता शुद्ध करने की अनुशंसा की है । संलग्न पर्चा मौका अनुसार भी भूमि कय से लेकर आज तक कभी भी एग्रीकल्चर इण्डस्ट्रीज नही लगाई है , मौके पर भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन होकर खेतों की मेड पर वृक्ष लगे हुए है । पत्रावली के संलग्न खातेदारान के बयानात से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । भूमिधारी द्धारा भी वादीगण के प्रार्थना पत्र से सहमत हो संशोधन की अभिशंसा की गई है ।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा जूईतलाई की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 156 में खातेदार के स्थान पर अंकित बुरहानी इण्डस्ट्रीज एग्रो को0 हटाया जाकर खातेदारान के नाम यथावत रखे जाने संशोधन के आदेश दिए जाते है ।

तहसीलदार गलियाकोट को आदेशानुसार पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा